न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 06, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या – 358/2018

स्टेट बनाम कन्हैया आदि।

मु०अ०सं० 118/2018

धारा–147, 148, 149 व 302 भा.द.सं.।

थाना–जहानागंज ,जनपद आजमगढ़।

दिनांक 07.08.2024

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। पूर्व में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 27 ख पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 27 **ख अंतर्गत धारा** 319 **दंड प्रक्रिया संहिता** इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में वादी है। घटना में प्रार्थी के पिता स्व० मुसाफिर राम की दिन दहाड़े निर्मम हत्या की गयी। वह घटनास्थल का चश्मदीद व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जहानागंज में 6 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया है। घटना के संबंध में उसका बयान पी०डब्लू० 1 के रूप में न्यायालय में हुआ है, जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना कारित करने के संबंध में बयान दिया है। उसके बयान व रिपोर्ट में अभियुक्तगण आनन्द कुमार व नौशाद का नाम घटना में सम्मिलित होकर घटना कारित करने की बात अंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त आनन्द कुमार द्वारा स्व० पिता को गोली मारने की बात उसने लिखवाया है एवं अभियुक्त नौशाद द्वारा घटनास्थल पर रहकर यह कहा गया कि **"गोली ऐसा मारो कि बचे न मर जाये**।'' यह बात भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने लिखवाया है। विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना न करके आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव के चलते आनन्द कुमार व नौशाद को मुकदमे से बरी कर दिया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थी द्वारा अभियुक्तगण आनन्द कुमार व नौशाद को तलब करके दण्डित किये जाने की याचनी की गयी है।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र कागज सं० 66 ख/1 प्रस्तुत किया गया है।

मेरे द्वारा वादी के निजी अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को सुना तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी हरिकेश द्वारा तहरीर में यह कथन किया गया कि दिनांक 16.05.2018 को उसके पिता मुसाफिर घर से आजमगढ़ के लिये जा रहे थे। रास्ते में घर से लगभग 250 मीटर दूर नहर पर घात लगाकर बैठे कन्हैयालाल, आनन्द कुमार व अविनाशी आदि द्वारा उसके पिता के कनपटी, पेट व सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसके पहले भी ये लोग गोली मारे थे, जिसमें बच गये थे। पुनः यही लोग घटना किये, जिसमें इनको ललकारने में दुर्गविजय, श्री विजय व नौशाद आदि लोग कह रहे थे कि गोली ऐसा मारो कि बचे न मर जाये।

Digitally signed by Santosh Kumar Yadav
Date: 2024.08.07 16:30:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा आरोप पत्र अभियुक्तगण कन्हैया लाल , दुर्गविजय व अविनाशी के विरुद्ध धारा 147, 148, 149 व 302 भा.द.सं. में न्यायालय में प्रेषित किया गया, परन्तु विवेचक द्वारा अभियुक्तगण आनन्द कुमार व नौशाद के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर अभियुक्तगण नौशाद व आनन्द कुमार को तलब करने हेतु याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 27 ख अंतर्गत धारा 319 द.प्र.सं. पर न्यायालय सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.ऐक्ट) आजमगढ़ द्वारा सुनवाई करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 21.03.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त खारिज कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन संख्या 2197/2022 हरिकेश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व तीन अन्य दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2024 को आदेश पारित करते हुये विचारण न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये पुनः विधिनुसार निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से हरिकेश(वादी मुकदमा/मृतक का पुत्र) को अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया गया है कि **कन्हैया, आनन्द, अविनाशी को दुर्गविजय व नौशाद, जो उसके गाँव के हैं, ललकारे की गोली ऐसा मारो कि बच न जाये।** उक्त साक्षी के साक्ष्य में यह कथन भी किया है कि **वह गोली चलने की आवाज पर भागकर घटनास्थल पर पहुँचा, तो देखा कि विजय, नौशाद, दुर्गविजय ललकार रहे थे और कन्हैया, आनन्द व अविनाशी ये लोग उसके पिता को गोली मार दिये। मौके पर वह पहुँचकर अपने पिता को गिरते हुये देखा और उन लोगों को गोली मारते व भागते हुये देखा।** उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि **नौशाद इस मुकदमे में अभियुक्त है। अभियुक्त श्रीविजय उर्फ दुर्गविजय मारने वालों को ललकारे थे, कहे थे कि गोली ऐसी मारो कि बच न पाये। उसके पिता को गोली कन्हैयालाल, आनन्द व अविनाशी ने मारी थी। कन्हैया, आनन्द व अविनाशी के हाथ में कौन सा असलहा, कट्टा, रिवाल्वर था या बन्दूक था, वह नहीं बता सकता।** उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तो उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था, फिर कहा कि कन्हैया, अविनाशी व आनन्द थे। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो कन्हैया, अविनाशी व आनन्द उसके पिता को गोली मार रहे थे। वह घर से एक गोली की आवाज सुनकर निकला था।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादी मुकदमा हरिकेश, जो पी०डब्लू० 1 के रूप में अभियोजन की तरफ से परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपने मुख्य बयान व प्रतिपरीक्षा में आरोप पत्र में नामित अभियुक्तगण कन्हैया, दुर्गविजय व अविनाशी के साथ–साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण नौशाद व आनन्द कुमार को भी घटना में शामिल

होकर हत्या कारित करने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण आनन्द कुमार व नौशाद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, किंतु विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण आनन्द कुमार व नौशाद के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

धारा–319 सी.आर.पी.सी में यह प्रावधानित है कि–अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति–

(1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

(2)– जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में शामिल नहीं है, वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3)– कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किये जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिये, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जाँच या विचारण के प्रयोजन के लिये निरुद्ध किया जा सकता है।

(4)– जहाँ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहाँ–

(क)– उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जायेगी और साक्षियों को फिर से सुना जायेगा,

(ख)– खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था, जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था, जिस पर जाँच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था कैलाश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2008) 2 क्रि०ला०ज० 1914 (एस.सी.) में यह अवधारित किया गया है कि धारा 319 का मुख्य शब्द है, ''साक्ष्य से यह प्रकट होता है।'' इसलिये मात्र नहीं कि कुछ साक्षियों ने उस व्यक्ति का नाम लिया है या उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ सामग्री है। न्यायालय द्वारा धारा 319 के अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यह इस तथ्य से भिन्न है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है, ऐसा होना चाहिये, जिसे अन्य अभियुक्तों के साथ अभियोजित किया जा सके।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था राम निवास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) क्रि०ला०ज० 460 (इलाहाबाद) में यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त का नाम आरोप पत्र में दर्शित नहीं किया गया है। यद्यपि उसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त की अपराध में भागीदारी दर्शित हुयी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त को आरोपित अभियुक्तों के साथ विचारण के लिये

समन किया जा सकता है। साक्षी के बयान को संहिता की धारा 319 के अधीन साक्ष्य माना जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में अपने आदेश दिनांकित 08.01.2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Sandeep Kumar vs the state of Haryana and another, 2023 SCC Online SC 888** has observed that the entire purpose of criminal trial is to go to the truth of the matter. Once there is satisfaction of the court that there is evidence before it that an accused has committed an offence, the court can proceed against suc a person. At the stage of summoning an accused there has to be a prima facie satisfaction of the court. The scope and ambit of section 319 Cr.P.C. has been discussed and dealt with an detail in the constitution Bench judgement of **Hardeep singh vs State of Punjab and others reported in (2014) SCC 92** where it said:

विधि व्यवस्था **Hardeep singh vs State of Punjab and others reported in (2014) SCC 92** के पैरा नं० 106 में यह अवधारित किया गया है कि we hold that though only a prima facie case is to be established from the evidence led before the court, not necessarily tested on the anvil of cross examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebuted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the court should refrain from exercising power under section 319 Cr.p.c. in section 319 the purpose of providing if " it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offences" it is clear from the words" which such person could be tried together with the accused". The words used are not "for which such person could be convicted". There is, therefore, no scope for the court acting under section 319 Cr.P.C. to form any opinion as to the guilt of the accused."

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा हरिकेश द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं., न्यायालय में दिये गये अपने मुख्य बयान तथा प्रतिपरीक्षा में किये गये कथन से यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण आनन्द कुमार व नौशाद द्वारा घटना में शामिल होकर आरोप पत्र में नामित अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा के पिता की हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 27 ख अंतर्गत धारा 319 द.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 27 ख, अंतर्गत धारा 319 द.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रकाश में आनन्द कुमार पुत्र ललित राम व नौशाद पुत्र इरशाद, साकिनान ग्राम व पोस्ट मन्दे, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को सत्र परीक्षण संख्या358/2018, मु०अ०सं० 118/2018, धारा 147, 148, 149, 302 भा.द.सं., थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में जरिए सम्मन तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते अग्रेतर कार्यवाही दिनांक–04.09.2024 को पेश हो।

दिनांक 07.08.2024

(संतोष कुमार यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 06, आजमगढ़।